

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 संत्र

वैनिक विधार्य सूची

बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2002 (अग्रहायण 6, 1924)

समय 10.30 बजे विन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षित

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह लोमर, नरोत्तम शिंगा, सदस्य, प्रदेश के अनेक अशासकीय विद्यालयों को माध्यमिक-शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता न दिये जाने से उत्पन्न विधियों की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री मुश्तिलाल, लाल सिंह, मुज्जा सिंह, सदस्य, ग्वालियर एवं चबूल संभाग में कृषकों को पतेवा हेतु पानी न भित्तने से उत्पन्न विधियों की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शिवमोहन सिंह, सभापति, याचिका समिति का छाँतीसवां, पैतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित
समय

4. शासकीय विधि विवरक वर्ग

1 घन्टा

(1) श्री धनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य विषयों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2002 (क्रमांक 25 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(2) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरव्हाइकल विधान (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 26 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(3) दीवान अन्दर्भान सिंह, राज्यमंत्री श्रम, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपर्युक्त विधेयक, 2002 (क्रमांक 27 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(4) श्री पूरन सिंह बेडिया, राज्यमंत्री जनशिकायत निवारण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जानकारी ली स्वतंत्रता विधेयक, 2002 (क्रमांक 28 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(5) श्री आरिक अकील, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 29 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(6) श्री रत्नेश सौलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय

30 मि.

(संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

5. संकल्प

1 घन्टा

श्री धनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, राज्य न्यायिक सेवाओं के न्यायाधीशों के बैठन एवं भूमि में वृद्धि करने एवं सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का, संवैधानिक एवं वित्तीय कारणों से, पालन न हो सकने संबंधी शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महस्त के विवर पर धर्चा

प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न विधियों के संबंध में धर्चा का पुनर्गठन।

भौपाल :

दिनांक : 26 नवम्बर, 2002

डॉ. ए. के. पराम्बर्दी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।